

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 872] No. 872] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2013/चैत्र 27, 1935

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2013/CHAITRA 27, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

का.आ.987(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस.एल. बुनकर को उस तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए, जिसको वह पदभार ग्रहण करते हैं या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्वक्ती हो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। र्ष

[फा. सं. 5/37/2012-सीएस] मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2013

S.O. 987(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri S.L.Bunker as Member of the Competition Commission of India for a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No.5/37/2012-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

1562 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.